पत्रांक–16 / से0गा0अ0–01–10 / 2016 का0 156 /

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

निधि खरे,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी उपायुक्त,

राँची, दिनांक 06-01-2017

विषयः– **स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।**

महाशय,

आप सभी अवगत हैं कि राज्य पुनर्गठन के समय से ही यह राज्य राज्यकर्मियों की कमी से जूझ रहा है। फलतः राज्य के विकास की गति में अपेक्षित सुधार संभव नहीं हो पा रहा है। राज्य सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के बाद बड़े पैमाने पर नियुक्ति की प्रक्रिया आरम्भ की जा चुकी है। लगभग 50 हजार रिक्तियाँ भरे जाने की कार्रवाई विभिन्न स्तरों पर की जा रही है।

2. संविधान के अनुच्छेद–14 एवं 16 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियुक्ति की प्रक्रिया में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनु0–I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनु0–II) को यथा निर्धारित अनुपात में उदग्र आरक्षण अनुमान्य है, जबकि महिला, निःशक्तजनों एवं खेल–कूद कोटा के लिए यथा निर्धारित प्रतिशत में क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है। आरक्षण की सुविधा के लिए जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है। जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए कई अनुदेश पूर्व से निर्गत हैं, किन्तु यह पुनः स्पष्ट करना है कि झारखण्ड राज्य के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची संविधान (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के माध्यम से प्रथम बार सूचीबद्ध किया गया है और आरक्षण की सुविधा के लिए किसी व्यक्ति को जाति/जनजाति का सदस्य होना और उस व्यक्ति या उसके पूर्वज का सूचीकरण की तिथि को सम्बन्धित स्थान का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। उसी प्रकार अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनु0–I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनु0–II) के लिए भी जाति प्रमाण पत्र सम्बन्धित व्यक्ति की जाति के सूचीकरण की तिथि को स्थायी रूप से राज्य में आवासित होना आवश्यक है। इसलिए जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में अपेक्षित सतर्कता आवश्यक है।

3. जहाँ तक स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का प्रश्न है, वह संकल्प सं0–3198 दिनांक–18.04.2016 द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन इस विभाग के पत्र सं0–4650 दिनांक–02.06.2016 के आलोक में निर्गत की जानी है।

4. चूँकि अधिसूचना सं0–5938, दिनांक–14.07.2016 द्वारा राज्य के तेरह (13) अनुसूचित जिलों यथा– साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, लातेहार, राँची, खूँटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला–खरसावाँ में जिला स्तरीय पदों की रिक्तियों की पात्रता के लिए जिला का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है, अतः इस विन्दु पर निगरानी आवश्यक है कि अवांछनीय तत्व ऐसे प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सफल नहीं हों।